संॅ0सं09/आ0–4–1/2003

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

डा0 सुनील कुमार सिंह, तत्कालीन चि0 पदा0, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, खड़गपुर, मुंगेर के विरुद्ध जुलाई 2002 से उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में योगदान के उपरान्त अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित रहने तथा माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र भ्रमण (दिनांक– 07.01.2003 से 10.01.2003) के क्रम में भी अनुपस्थित पाए जाने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या 856(9) दिनांक 19.4.2003 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प संख्या 393(9) दिनांक 01.07.2003 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

02. संचालन पदाधिकारी (क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर) द्वारा समर्पित अधिगम में उल्लेख किया गया है कि डा0 सुनील कुमार सिंह दिनांक– 11.07.2002 को अवकाश आवेदन देकर चले गए तथा बिमारी का कारण बतलाते हुए दिनांक 29.01.03 तक अवकाश विस्तार हेतु आवेदन भेजते रहें। उसके पश्चात् उनका कोई आवेदन प्राप्त नहीं है तथा कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

03. विभागीय पत्रांक 211(9) दिनांक– 16.03.2015 द्वारा डा0 सुनील कुमार सिंह, तत्कालीन चि0 पदा0, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, खड़गपुर, मुंगेर को अधिगम की प्रति भेजते हुए द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

04. द्वितीय कारण पृच्छा के प्रत्युत्तर में डा0 सिंह ने स्वयं स्वीकार किया है कि दिनांक– 11.07.2002 को आकस्मिक अवकाश में प्रस्थान करने के उपरान्त अबतक अनुपस्थित रहे है। हलाँकि इसका कारण उन्होंने अपनी अस्वस्थता को बतलाया है।

05. डा0 सिंह को विभागीय अधिसूचना सं0 1177(9) दिनांक– 02.09.2005 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया थां, किंतु निलंबन मुक्ति के उपरान्त उनके द्वारा कर्त्तव्य स्थल में योगदान नहीं किया गया। डा0 सिंह को अपने निलंबन एवं निलंबनमुक्ति की जानकारी भी नहीं थी। इससे स्पष्ट है कि जुलाई 2002 के उपरान्त डा0 सिंह का अपने कर्त्तव्यस्थल से कोई संपर्क नहीं रहा है।

06. पाँच वर्षो से अधिक समय तक अपने कर्त्तव्य से अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित रहने के प्रमाणित आरोप में डा0 सिंह को बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया तथा इस दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति मांगी गई। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 547 दिनांक– 20.05.2016 द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर इस आधार पर असहमति व्यक्त की गई है कि डा0 सिंह के विरुद्ध प्रपत्र – 'क' गठन के समय तथा विभागीय कार्यवाही का संकल्प निर्गत करते समय उनकी अनाधिकृत अनुपस्थिति अवधि पाँच वर्षो से कम थी।

07. आरोप, अधिगम, आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर तथा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा दिए गए परामर्श की सम्यक समीक्षोपरान्त यह देखते हुए कि डा0 सुनील कुमार सिंह के विरुद्ध पाँच वर्षो से अधिक (जुलाई 2002 से अबतक) अनाधिकृत अनुपस्थिति का आरोप प्रमाणित है। बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श से असहमत होते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया ।

अतः डा0 सुनील कुमार सिंह, तत्कालीन चि0 पदा0, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, खड़गपुर, मुंगेर को जुलाई 2002 से लगातार पाँच वर्षों से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम– 76 के तहत सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :– संकल्प की प्रति डा0 सुनील कुमार सिंह एवं सभी संबंधितों को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/- 04.10.16

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः 1027 (9) /स्वा0, पटना , दिनांकः 04/10/2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी मुंगेर/क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य मुंगेर प्रमंडल गया/सिविल सर्जन मुंगेर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 सुनील कुमार सिंह, तत्कालीन चि0 पदा0, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, खड़गपुर, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव बिहार लोक सेवा आयोग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 2,3,5,7,8,10,11,12,17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/- 04.10.16

सरकार के अवर सचिव

D:\Sweta\Section-9-01-11-12\SWETA SHARMA 2016\Sankalp 2016.docx